लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 355

दिनांक 30 अप्रैल, 2012को उत्तर दिए जाने के लिए

कृषि उत्पादों का निर्यात

*355. **श्री जगदीश ठाकोर:**

श्री जगदानंद सिंह:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में निर्यात किए गए कृषि उत्पादों की मद-वार मात्रा और मूल्य क्या हैं तथा इनसे कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान कृषि उत्पादों के आयात में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या घरेलू बाजार पर इन निर्यातों/आयातों के प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा)

(क) से (च) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

"कृषि उत्पादों का निर्यात" के बारे में दिनांक 30.04.2012 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 355 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

.....

(क) और (ख) : वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान निर्यातित कृषि उत्पादों की मात्रा और उनके मूल्य अनुबंध-I में हैं। वर्ष 2011-12 का पूर्ण वार्षिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है क्योंकि भारतीय कृषि नीति के कई उद्देश्य हैं, जिसमें शामिल हैं - खाद्य आत्म-निर्भरता, किसानों की मजदूरी दर का सुनिश्चितीकरण तथा घरेलू बाजार में आवश्यक वस्तुओं की उचित दाम पर उपलब्धता। तथापि, कृषि उत्पादों का निर्यात कई तथ्यों पर तथा खाद्य उत्पादों की अधिक मात्रा में उपलब्धता, अंतर्राष्ट्रीय मांग तथा आपूर्ति की स्थिति, गुणवत्ता मानक और मूल्य प्रतिस्पर्धा पर निर्भर है।

(ग) और (घ) : वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान प्रमुख कृषि उत्पादों का आयात क्रमशः 6219 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 10645 मिलि. अम.डॉलर तथा 10593 मिलियन अम.डॉ का था। वर्ष 2011-12 में कृषि उत्पाद के आयात का पूर्ण वार्षिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। कृषि उत्पादों के आयात मूल्य में वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2010-11 में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है।

(ङ) और (च) : सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के आयात एवं निर्यात संबंधी आंकड़ों का समय-समय पर विश्लेषण किया जाता है। आवश्यक कृषि वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता/कमी/अतिरेक की समीक्षा के शक्तिप्राप्त मंत्री दल द्वारा, कीमत से संबंधित मंत्रीमण्डल समिति, सचिव समिति आदि द्वारा की जाती है। किसी खाद्य उत्पाद/वस्तु विशेष के आयात/निर्यात पर प्रतिबंध अथवा उसकी अनुमति के संबंध में उचित निर्णय विभिन्न कारकों यथा-देश में उपलब्ध कृषि उत्पादों के स्टॉक, बफर स्टॉक मानक से कम या अधिक अतिरेक (सरप्लस) तथा नीतिगत अपेक्षाओं, खाद्य सुरक्षा, जनसाधारण को कृषि उत्पाद की उचित मूल्य पर उपलब्धता तथा उपजकर्ता को पारिश्रमिक लाभ एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य प्रतिस्पर्धा आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखकर लिया जाता है।

...2/-

अनुबंध-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि मदों के निर्यात के ब्यौरे

मात्रा: मिट्रिक टन में/मूल्य अम.डॉलर में

	2008-2009		2009-2010		2010-2011	
उत्पाद	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
कृषि एवं संबद्ध उत्पाद						
तेल खाद्य	6742.94	2232.93	4688.85	1656.03	6797.86	2379.53
बासमती चावल	1556.41	2060.67	2016.78	2297.29	2183.50	2320.90
चीनी	3332.00	967.33	44.05	23.26	3241.35	2268.32
अन्य अनाज	3999.65	852.48	2924.47	627.23	3189.81	790.79
गुड एवं मिस्ठान	1467.90	435.93	53.64	49.20	1068.38	766.94
तम्बाकू अभिनिर्मित	179.36	600.98	230.88	763.97	207.55	659.85
अरंडी का तेल	356.44	461.56	397.70	459.40	411.21	625.64
ग्वारगम	258.57	291.15	218.48	239.09	403.68	616.93
काजू	176.15	630.79	122.17	591.13	91.56	570.02
तिल बीज	155.27	324.91	215.98	315.48	343.03	481.45
मूंगफली	297.89	269.41	340.25	300.83	417.15	459.43
ताजे प्याज	1670.19	397.37	1664.92	489.33	1163.47	382.09
अन्य प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियाँ	387.13	298.28	397.98	302.85	340.07	288.80
अनाज विनिर्मितियाँ	206.93	239.38	168.80	213.83	215.73	269.16
शीरा	0.17	17.98	31.10	4.17	1822.88	218.62
अन्य ताजी सब्जियाँ	505.29	147.90	419.24	154.40	490.91	195.91
विविध विर्मितियाँ	139.64	128.66	158.80	146.47	182.18	191.81
दालें	136.88	117.92	100.13	86.14	205.82	187.17
आम गूदा	173.01	163.73	186.20	157.09	171.93	178.59
तम्बाकू विनिर्मित	0.00	150.88	0.00	152.78	0.00	173.56
एल्कोहलिक पेय	56.15	117.97	70.50	124.37	132.11	173.36
सूखी एवं प्रसंस्कृत सब्जियाँ	147.86	107.94	124.61	112.25	110.17	113.42
अन्य ताजे फल	256.77	93.69	260.68	110.30	253.85	107.43
ताजे अंगूर	124.63	88.85	131.15	115.05	99.31	90.40
पुष्पोत्पाद	30.80	80.19	26.81	62.12	27.78	62.85
गैर-बासमती चावल	931.88	366.90	139.54	77.07	99.29	48.75
फल एवं सब्जियाँ के बीज	8.54	26.09	8.88	30.61	11.18	38.44
ताजे आम	83.70	37.12	74.46	42.31	59.22	35.74
मिल उत्पाद	41.05	17.69	60.28	27.89	74.38	35.40
अखरोट	5.70	30.71	9.07	41.75	5.24	34.34
कोको उत्पाद	6.83	18.27	5.86	20.46	6.96	28.85
चपड़ा	6.03	22.59	4.18	15.04	3.88	24.78
नाइजर बीज	13.72	13.97	6.00	5.11	11.82	9.03
गेहूँ	1.12	0.32	0.05	0.01	0.35	0.13
पशु उत्पाद						
भैंस का मांस	462.75	1052.34	495.02	1156.24	709.44	1845.70
डेयरी उत्पाद	70.15	213.28	34.38	84.95	36.87	117.13
कुक्कुट उत्पाद	1057.02	91.77	1016.78	78.51	619.15	66.11
भेड/बकरी का मांस	37.79	107.28	52.87	157.64	11.91	55.55
प्राकृतिक शहद	15.59	32.39	13.31	30.94	31.68	54.76
पशु आवरण	1.82	1.92	2.02	6.65	1.81	7.71
प्रसंस्कृत मांस	0.86	2.21	0.72	2.02	1.37	4.62
सूअर मांस	0.82	1.99	1.12	2.18	1.12	2.31
कुल योग	25053.40	13315.72	16918.71	11333.44	25256.96	16982.32

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

-x-

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2584

29.03.2012 को दिया जाने वाला उत्तर

पाटन रेलवे स्टेशन का उन्नयन

2584. श्री जगदीश ठाकोर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे गुजरात में पाटन रेलवे स्टेशन का उन्नयन करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा)

(क) और (ख) : पाटन एक 'डी' श्रेणी का स्टेशन है। इस स्टेशन पर मानदंडों के अनुसार बुकिंग सुविधा, प्रतीक्षा हाल, विश्राम कक्ष, प्लेटफार्म शेल्टर, पीने का पानी, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, ऊपरी पैदल पुल आदि जैसी न्यूनतम आवश्यक यात्री सुविधाएं पहले से मुहैया कराई गई हैं। यात्री यातायात की मात्रा में होने वाली वृद्धि के आधार पर स्टेशन पर सुविधाओं का अपग्रेडेशन करना एक सतत् प्रक्रिया है।

****

S:\vashali 2\03\12

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2710
उत्तर देने की तारीख 29.03.2012

अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक विकास के लिए योजनाएं

2710. शेख सैदुल हक :
श्री नीरज शेखर :
श्री जगदीश ठाकोर :
श्री यशवीर सिंह :

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त उद्देश्य हेतु योजनाओं के लिए आवंटित, जारी तथा खर्च की गई धनराशि का वर्ष–वार, योजना–वार एवं राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में उत्तर प्रदेश सहित बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अल्पसंख्यकों में शिक्षा के विकास हेतु आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2012–13 के दौरान अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक उत्थान के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले अन्य कदम क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार छात्रवृत्ति योजनाओं तथा मौलाना आजाद अध्येतावृत्ति के लिए पात्रता, शर्तों एवं मानदंड को सरल करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या इन छात्रवृत्तियों एवं अध्येतावृत्ति की राशि को सरकार द्वारा बढ़ाए जाने की संभावना है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री **(श्री विन्सेंट एच. पाला)**

(क) : अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(1) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित मौलाना आजाद अध्येतावृति और मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना, मेरिट सह–साधन आधारित छात्रवृति योजना।

(2) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम), अल्पसंख्यक संस्थानों का अवसंरचना विकास (आईडीएमआई)।

(3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित अल्पसंख्यकों/अ0जा0/अ0ज0जा0 और महिलाओं के लिए आवासीय कोचिंग अकादमी की स्थापना, उर्दू अकादमी की स्थापना/उर्दू शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास केन्द्र, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (एमएएनयूयू), हैदराबाद के सेटेलाइट कैम्पस की स्थापना, माडल डिग्री कालेज की स्थापना, अल्पसंख्यक बहुल जिले में महिला छात्रावासों की स्थापना। (1), (2) और (3) का ब्यौरा **अनुलग्नक -I** में दिया गया है।

(ख) : 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपर्युक्त उल्लिखित योजनाओं के संबंध में आवंटित और जारी निधियों का ब्यौरा क्रमशः **अनुलग्नक 2क, 2ख, 2ग, 3क, 3ख और 3ग** में दिया गया है।

(ग) और (घ) : योजना आयोग द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निधि के आवंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) : जी, नहीं।

(च) : उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ज) : उपर्युक्त भाग (छ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*****

अनुलग्नक–I

"अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक विकास के लिए योजनाएं" विषय पर शेख सैदुल हक, श्री नीरज शेखर, श्री जगदीश ठाकोर, श्री यशवीर सिंह द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 29.03.2012 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 2710 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित विवरण।

संघ सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के शैक्षिक उत्थान के लिए संचालित योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

(1.1) मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना : यह छात्रवृत्ति पांच अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध उन छात्रों को दी जाती हैं, जिनके पिछली अंतिम परीक्षा में 50% से कम अंक न हों और जिनके माता–पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹1.00 लाख से अधिक न हो। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित होती है (अनुलग्नक–2 क)।

(1.2) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना : यह छात्रवृत्ति पांच अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध छात्रों को दी जाती हैं, जिनकी पिछली अंतिम परीक्षा में 50% से कम अंक न हों अथवा समकक्ष ग्रेड हो और जिनके माता–पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2.00 लाख से अधिक न हो (अनुलग्नक–2 ख)। ।

(1.3) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति : अध्येतावृत्ति का उद्देश्य एम0फिल और पीएच0डी जैसे उच्च पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में समन्वित पंचवर्षीय अध्येतावृत्ति प्रदान करना है। यह अध्येतावृत्ति योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को कवर करती है। एम0फिल/पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट)/राज्य स्तरीय परीक्षा (स्लेट) पास करना पूर्वापेक्षित नहीं है। 30% छात्रवृतियां छात्राओं के लिए निर्धारित होती है (अनुलग्नक–2 ग)।

(1.4) मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति : ये छात्रवृत्तियां स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए उपलब्ध हैं। इन छात्रवृत्तियों का 30% भाग पात्र छात्राओं के लिए निर्धारित है। इसके लिए पात्रता यह है कि छात्र पांच अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से किसी एक समुदाय का हो और उपयुक्त प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त किसी तकनीकी अथवा व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश लिया हुआ हो। यदि छात्र प्रतियोगी परीक्षा के बिना प्रवेश लिया है तो उसे 50% से कम अंक प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए। परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक न हो (अनुलग्नक 2 घ)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजनाएं : –

(2.1) मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना (एसपीक्यूईएम) :यह योजना मदरसों में गुणवत्तापरक सुधार के आशय से है ताकि मुस्लिम बच्चे औपचारिक शैक्षिक विषयों में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकें। एसपीक्यूईएम मांग आधारित योजना है (अनुलग्नक–3 क)।

(2.2) अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसरंचना विकास (आईडीएमआई) : आईडीएमआई योजना निजी सहायता–प्राप्त एवं गैर–सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों/संस्थानों में अवसंरचना विकास से संबंधित है ताकि अल्पसंख्यक बच्चों के शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके। जनसंख्या संबंधी उपलब्ध आकड़े के आधार पर लगभग 20% अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों/ब्लॉकों में स्थित पात्र अल्पसंख्यक संस्थानों (निजी सहायता–प्राप्त/गैर–सहायता–प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों) को वरीयता दी जानी है। योजना के तहत पूरा देश शामिल है (अनुलग्नक–3 ख)।

(2.3) **अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आवासीय कोचिंग अकादमी की स्थापना :** कोचिंग कार्यक्रम बिना शिक्षण शुल्क के चलाए जाते हैं तथा छात्रों को या तो निःशुल्क अथवा मामूली शुल्क पर छात्रावास या मेस सुविधा उपलब्ध करायी जाती है कार्यक्रम का उद्देश्य उपर्युक्त श्रेणी के छात्रों को केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की नौकरियों, निजी क्षेत्र की नौकरियों में तथा आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश दिलाना है (अनुलग्नक–3 ग)।

(2.4) **अरबी और फारसी में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के लिए मेन्यु के सेटलाइट कैम्पस की स्थापना :** यूजीसी ने मेन्यु को लखनऊ में अरबी और फारसी में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के सेटलाइट कैम्पस की स्थापना के लिए ₹14.00 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी है (अनुलग्नक–3 ग)।

(2.5) **मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना :** यह योजना अभिनिर्धारित 374 पिछड़े जिलों में प्रत्येक में मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है। योजना का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में समावेशन, समता और गुणवत्ता के साथ विस्तार देना है। वस्तुतः यह योजना राज्य सरकारों के लिए अभिप्रेरणात्मक है, जिसकी सहायता से पिछड़े जिलों को समुचित वित्तीय सहायता देकर राज्य शिक्षा का उत्थान कर सकते हैं। योजना के तहत ₹4.00 करोड़ के कुल पूंजीगत लागत में से यूजीसी ने ₹2.67 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी है। अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अब तक 14 मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं।

(2.6) **अल्पसंख्यक बहुल जिलों में महिला छात्रावासों की स्थापना :** 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अल्पसंख्यक बहुल जिलों/क्षेत्रों में 285 महिला छात्रावास स्थापित किए जा चुके हैं। दिनांक 27 फरवरी, 2012 तक कुल ₹370.19 करोड़ के कुल आवंटन में से ₹203.69 करोड़ जारी किए जा चुके हैं।

(2.7) **जनरल डेवलपमेंट स्कीम :** इस योजना के तहत यूजीसी द्वारा बिल्डिंग, कैम्पस विकास, नए विभागों के सृजन, पुस्तकों, उपकरणों, वेतन आदि के लिए अनुदान जारी किया जाता है। 11वीं योजना के दौरान यूजीसी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया और मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय को अनुदान जारी किए हैं (अनुलग्नक–3 ग)।

(2.8) **फातिमा समिति की सिफारिशें :** सच्चर समिति की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर कार्य योजना तैयार करने के लिए फातिमा समिति नामक उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी थी। इस समिति ने मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय में मॉडल स्कूलों, बी0एड कॉलेजों और पोलीटेक्नीक–आईटीआई की स्थापना हेतु कुछ विशिष्ट अनुशंसाएं की हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए समिति ने पर्याप्त अवसंरचना और अन्य सुविधाओं के लिए सहायता की अनुशंसा की है।

तद्नुसार मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय ने महिलाओं के लिए कॉलेज, नर्सिंग और फारमेसी कॉलेज तथा यूनानी मेडिसिन कॉलेज और अस्पताल की स्थापना संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यूजीसी ने 11वीं योजना अवधि के दौरान सच्चर समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए ₹26.15 करोड़ का अनुदान जारी किया है।

यूजीसी ने विभिन्न अकेडमिक प्रोग्राम चलाने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मल्लापुरम (केरल) और मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) में दो कैंपसों की स्थापना की स्वीकृति दी है (अनुलग्नक–3 ग)।

****

अनुलग्नक 2 क

"अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक विकास के लिए योजनाएं" विषय पर शेख सैदुल हक, श्री नीरज शेखर, श्री जगदीश ठाकोर, श्री दशवीर सिंह द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 29.03.2012 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 2710 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुलग्नक।

मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना के लिए वर्ष 2008–09 से वर्ष 2011 12 तक के आवंटन एवं अवमुक्त राशि के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरे

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (29.2.2012 तक)	
		आवंटन	अवमुक्त धनराशि	आवंटन	अवमुक्त धनराशि	आवंटन	अवमुक्त धनराशि	आवंटन	अवमुक्त धनराशि	आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	आंध्र प्रदेश	योजना शुरू नहीं।	योजना शुरू नहीं।	राज्य वार वित्तीय आवंटन नहीं था	5.37	राज्य–वार वित्तीय आवंटन नहीं था	13.90	16.29	42.85	25.62	19.30
2	अरूणाचल प्रदेश				0.00		0.00	0.72	0	1.39	0.00
3	असम				0.00		16.83	18.43	8.37	35.55	21.25
4	बिहार				10.71		9.22	27.39	34.12	43.08	21.54
5	छत्तीसगढ				0.24		1.07	1.86	1	2.93	2.93
6	गोवा				0.02		0.04	0.92	0	1.45	0.00
7	गुजरात				0.00		0.00	9.82	0	15.44	0.00
8	हरियाणा				0.51		1.58	4.83	2	7.60	2.03
9	हिमाचल प्रदेश				0.18		0.09	0.57	0	0.89	0.41
10	जम्मू और कश्मीर				1.02		7.44	14.15	13	22.25	11.10
11	झारखंड				2.71		2.10	9.75	4	15.34	7.51
12	कर्नाटक				1.99		13.93	15.63	33.16	24.58	38.71
13	केरल				3.50		12.24	27.59	42.69	43.40	43.40
14	मध्य प्रदेश				2.44		2.18	8.68	7	13.65	17.93
15	महाराष्ट्र				4.51		15.78	34.49	41	54.26	54.72
16	मणिपुर				0.46		3.10	1.85	0	3.57	1.19
17	मेघालय				0.71		1.26	3.43	2	6.61	0.00
18	मिजोरम				0.44		1.58	1.72	2	3.31	2.49
19	नागालैंड				0.00		0.00	3.64	1	7.01	0.00
20	ओडिसा				0.28		1.34	3.36	1	5.29	2.00
21	पंजाब				3.79		15.10	30.27	26	47.61	24.49
22	राजस्थान				1.83		4.72	11.29	11	17.76	10.14
23	सिक्किम				0.00		0.09	0.40	0	0.77	0.61
24	तमिलनाडू				2.33		7.82	14.41	28.17	22.66	25.70
25	त्रिपुरा				0.07		0.08	0.91	0	1.75	0.00
26	उत्तर प्रदेश				12.98		48.63	63.32	55.27	99.60	148.11
27	उत्तराखंड				0.00		0.07	2.50	0	3.93	0.43
28	पश्चिम बंगाल				5.36		19.72	41.76	75.53	65.68	82.98
29	अंडमान एवं निकोबार				0.04		0.01	0.22	0	0.52	0.03
30	चंडीगढ़				0.04		0.17	0.38	0	0.92	0.00
31	दादर एवं नगर हवेली				0.01		0.02	0.05	0	0.12	0.07
32	दमन एवं दीव				0.01		0.02	0.04	0	0.11	0.00
33	दिल्ली				0.71		2.77	4.64	3.03	4.75	1.35
34	लक्षद्वीप				0.00		0.00	0.13	0	0.31	0.00
35	पुडूचेरी				0.05		0.01	0.25	0	0.26	0.00
	योग			79.90	62.21	200.00	202.94	375.7	446.25	600.00	540.44

"अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक विकास के लिए योजनाएं" विषय पर शेख सैदुल हक, श्री नीरज शेखर, श्री जगदीश ठाकोर, श्री यशवीर सिंह द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 29.03.2012 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 2710 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुलग्नक।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना के लिए वर्ष 2007–08 से वर्ष 2011–12 तक के आवंटन एवं अवमुक्त राशि के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरे

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (29.2.2012 तक)	
		आवंटन	अवमुक्त धनराशि	आवंटन	अवमुक्त धनराशि	आवंटन	अवमुक्त धनराशि	आवंटन	अवमुक्त धनराशि	आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	आंध्र प्रदेश	राज्य वार वित्तीय आवंटन नहीं था	0	राज्य–वार वित्तीय आवंटन नहीं था	6.23	राज्य- वार वित्तीय आवंटन नहीं था	19.96	10.00	35.24	19.12	17.28
2	अरूणाचल प्रदेश		0		0.00		0.00	0.44	0.00	1.04	0.00
3	असम		0		4.87		8.32	11.32	5.60	26.71	0.00
4	बिहार		0		10.86		3.80	16.83	15.95	32.15	23.81
5	छत्तीसगढ़		0		0.24		0.60	1.14	1.03	2.18	1.57
6	गोवा		0		0.13		0.00	0.57	0.21	1.08	0.00
7	गुजरात		0		1.97		2.88	6.03	4.47	11.53	6.99
8	हरियाणा		0.13		0.93		0.68	2.97	1.48	5.67	1.48
9	हिमाचल प्रदेश		0.04		0.08		0.17	0.34	0.21	0.66	0.20
10	जम्मू और कश्मीर		0		0.98		3.67	8.69	5.24	16.61	2.13
11	झारखंड		0		2.86		3.67	5.99	6.15	11.45	8.85
12	कर्नाटक		2.91		0.46		8.82	9.60	12.35	18.35	24.85
13	केरल		0.84		2.43		11.21	16.96	9.98	32.39	21.69
14	मध्य प्रदेश		0.62		1.85		1.10	5.33	3.31	10.19	6.17
15	महाराष्ट्र		2.22		4.03		8.17	21.17	20.09	40.58	23.44
16	मणिपुर		0		0.75		2.85	1.14		2.67	0.00
17	मेघालय		0.02		0.03		0.04	2.11	0.19	4.96	0.00
18	मिजोरम		0.42		0.87		2.54	1.05	2.81	2.48	1.24
19	नागालैंड		0		0.01		0.02	2.24	0.05	5.26	0.04
20	ओडिशा		0.05		0.35		0.46	2.07	1.03	3.95	0.00
21	पंजाब		0.56		1.76		10.73	18.55	14.83	35.61	38.23
22	राजस्थान		0.64		2.14		4.00	6.93	4.66	13.25	12.05
23	सिक्किम		0		0.00		0.10	0.25	0.31	0.57	0.40
24	तमिलनाडू		0.96		2.42		11.04	8.85	10.67	16.91	14.43
25	त्रिपुरा		0.01		0.05		0.07	0.56	0.17	1.31	0.12
26	उत्तर प्रदेश		0		16.46		24.78	38.91	46.42	74.34	74.81
27	उत्तराखंड		0		0.10		0.06	1.53	0.08	2.93	0.19
28	पश्चिम बंगाल		0		7.72		18.43	25.56	25.77	49.02	46.87
29	अंडमान एवं निकोबार		0		0.03		0.01	0.13	0.01	0.52	0.00
30	चंडीगढ़		0		0.05		0.05	0.24	0.09	0.95	0.00
31	दादर एवं नगर हवेली		0.17		0.01		0.01	0.03	0.02	0.10	0.00
32	दमन एवं दीव		0		0.02		0.02	0.04	0.02	0.10	0.00
33	दिल्ली		0		0.39		0.43	2.85	0.38	4.75	0.00
34	लक्षद्वीप		0.01		0.00		0.00	0.09		0.29	0.00
35	पुडुचेरी		0		0.04		0.03	0.16	0.13	0.25	0.10
	योग		9.61	69.93	70.62	150.00	148.72	230.77	228.96	450	326.93

'अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक विकास के लिए योजनाएं' विषय पर शेख सैदुल हक, श्री नीरज शेखर, श्री जगदीश ठाकोर, श्री यशवीर सिंह द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 29.03.2012 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 2710 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुलग्नक।

11वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष–वार आवंटन एवं अवमुक्त धनराशि

(क) मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

(करोड़ रु0 में)

क्रम सं0	वर्ष	आवंटित धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1.	2007-08	*योजना संचालित नहीं*	
2.	2008-09		
3.	2009-10	15.00	14.90
4.	2010-11	30.00	29.98
5.	2011-12	52.00	57.98 (29.02.2012 तक)

(ख) मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति

(करोड़ रु0 में)

क्रम सं0	वर्ष	आवंटित धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1.	2007-08	154.00	40.90
2.	2008-09	165.00	64.73
3.	2009-10	100.00	97.51
4.	2010-11	125.00	108.75
5.	2011-12	140.00	113.20 (29.02.2012 तक)

मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति एवं मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के तहत राज्य–वार धनराशि आवंटित नहीं की जाती है।

"अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक विकास के लिए योजनाएं" विषय पर शेख सैदुल हक, श्री नीरज शेखर, श्री जगदीश ठाकोर, श्री यशवीर सिंह द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 29.03.2012 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 2710 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्षेत्र उन्मुख मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2009–10 से वर्ष 2011–12 तक अवमुक्त राशि के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरे

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12 (29.2.2012 तक)	
		आवंटन	अवमुक्त धनराशि	आवंटन	अवमुक्त धनराशि	आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	आंध्र प्रदेश	राज्य–वार विशिष्ट आवंटन नहीं था। योजना मांग आधारित है।		राज्य–वार विशिष्ट आवंटन नहीं था। योजना मांग आधारित है।	2.600	राज्य–वार विशिष्ट आवंटन नहीं था। योजना मांग आधारित है।	
2	अरुणाचल प्रदेश						
3	असम				10.390		4.595
4	बिहार						
5	छत्तीसगढ़				8.117		2.297
6	गोवा						
7	गुजरात						
8	हरियाणा				0.375		5.386
9	हिमाचल प्रदेश						
10	जम्मू और कश्मीर				3.479		
11	झारखंड		4.972				
12	कर्नाटक				4.902		2.106
13	केरल				14.901		10.855
14	मध्य प्रदेश		5.614		13.432		
15	महाराष्ट्र				0.366		1.475
16	मणिपुर						
17	मेघालय						
18	मिजोरम						
19	नागालैंड						
20	ओडिशा						
21	पंजाब						
22	राजस्थान				5.475		0.720
23	सिक्किम						
24	तमिलनाडू						
25	त्रिपुरा		3.742				
26	उत्तर प्रदेश		31.905		35.546		104.275
27	उत्तराखंड				1.889		0.346
28	पश्चिम बंगाल						
29	अंडमान एवं निकोबार						
30	चंडीगढ़		0.004				
31	दादर एवं नगर हवेली						
32	दमन एवं दीव						
33	दिल्ली						
34	लक्षद्वीप						
35	पुडुचेरी						
	योग	50.00	46.235	104.0	101.470	150.00	132.055

"अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक विकास के लिए योजनाएं" विषय पर शेख सैदुल हक, श्री नीरज शेखर, श्री जगदीश ठाकोर, श्री यशवीर सिंह द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 29.03.2012 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 2710 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुलग्नक।

अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2009–10 से वर्ष 2011–12 तक अवमुक्त राशि के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरे

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12 (29.2.2012 तक)	
		आवंटन	अवमुक्त धनराशि	आवंटन	अवमुक्त धनराशि	आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	आंध्र प्रदेश	राज्य–वार वित्तीय आवंटन नहीं था। योजना मांग आधारित है।		राज्य–वार वित्तीय आवंटन नहीं था। योजना मांग आधारित है।		राज्य–वार वित्तीय आवंटन नहीं था। योजना मांग आधारित है।	
2	अरूणाचल प्रदेश						
3	असम						
4	बिहार						
5	छत्तीसगढ						
6	गोवा						
7	गुजरात				1.912		
8	हरियाणा				2.011		1.454
9	हिमाचल प्रदेश						
10	जम्मू और कश्मीर				0.250		
11	झारखंड						
12	कर्नाटक				2.820		2.740
13	केरल				3.377		9.407
14	मध्य प्रदेश				2.529		
15	महाराष्ट्र				3.876		1.775
16	मणिपुर						
17	मेघालय						
18	मिजोरम						
19	नागालैंड						
20	ओडिसा						
21	पंजाब						
22	राजस्थान				1.028		
23	सिक्किम						3.456
24	तमिलनाडू						
25	त्रिपुरा						
26	उत्तर प्रदेश		4.480		3.277		2.004
27	उत्तराखंड				1.903		1.833
28	पश्चिम बंगाल						
29	अंडमान एवं निकोबार						
30	चंडीगढ़						
31	दादर एवं नगर हवेली						
32	दमन एवं दीव						
33	दिल्ली						
34	लक्षद्वीप						
35	पुडूचेरी						
	योग	5.000	4.480	25.750	22.984	50.000	22.668

"अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक विकास के लिए योजनाएं" विषय पर शेख सैदुल हक, श्री नीरज शेखर, श्री जगदीश ठाकोर, श्री यशवीर सिंह द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 29.03.2012 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 2710 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुलग्नक।

(क) : अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आवासीय कोचिंग अकादमी की स्थापना की योजना के तहत 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवंटित एवं अवमुक्त धनराशि के ब्यौरे :

(लाख रु0 में)

क्रम सं0	विश्वविद्यालय का नाम	कुल आवंटन	अब तक जारी धनराशि
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	1328.78	664.39
2.	जामिया मिलिया इस्लामिया	1500.00	750.00
3.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	828.78	414.39
4.	डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय	1078.78	539.39
5.	जामिया हमदर्द	1395.38	697.69
	योग	**6131.72**	**3065.86**

(ख) : उर्दू अध्यापकों के व्यावसायिक विकास हतु पूर्वी एकादमी/केन्द्र की स्थापना की योजना के तहत 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवंटित एवं अवमुक्त धनराशि के ब्यौरे :

(करोड़ रु0 में)

क्रम सं0	विश्वविद्यालय का नाम	कुल आवंटन	अब तक जारी धनराशि
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	4.00	3.70
2.	जामिया मिलिया इस्लामिया	4.00	3.50
3.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	4.00	3.67
	योग	**12.00**	**10.87**

(ग) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सच्चर समिति की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के लिए 11वीं योजना अवधि के दौरान ₹26.15 करोड़ का अनुदान पहले ही जारी कर दिया है।

(घ) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को ₹35 करोड़ का अनुदान पहले ही जारी कर दिया है, जिसमें से ₹25 करोड़ मुर्शिदाबाद कैम्पस के लिए और ₹10 करोड़ मल्लापुरम कैम्पस के लिए है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इन दोनों कैम्पसों को जारी अनुदान और उपयोग में लायी गयी धनराशि की स्थिति इस प्रकार है :

(लाख रु0 में)

क्रम सं0	कैम्पस का नाम	यूजीसी द्वारा जारी अनुदान	विश्वविद्यालय द्वारा व्यय
1.	मुर्शिदाबाद कैम्पस	2500.00	287.44
2.	मल्लापुरम कैम्पस	1000.00	637.41
	योग	**3500.00**	**924.85**

(ङ) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जनरल डेवलपमेंट स्कीम के तहत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय को जारी अनुदान इस प्रकार है :

(लाख रु0 में)

विश्वविद्यालय का नाम	योजना का नाम	11वीं योजना का आवंटन	11वीं योजना अवधि के दौरान जारी अनुदान
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	जनरल डेवलपमेंट	15337.13	10015.34
	आमेलित योजना	677.50	452.00
	अध्येतावृत्ति	3500.00	3250.00
	अतिरिक्त अनुदान	3600.00	3600.00
	योग	**2114.63**	**17317.34**
जामिया मिलिया इस्लामिया	जनरल डेवलपमेंट	18500.00	17650.00
	आमेलित योजना	617.50	597.35
	अध्येतावृत्ति	1500.00	1350.00
	अतिरिक्त अनुदान	7239.76	7239.76
	योग	**27857.26**	**26837.11**
मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय)	जनरल डेवलपमेंट	12455.00	11249.50
	आमेलित योजना	617.50	617.50
	अध्येतावृत्ति	350.00	313.47
	अतिरिक्त अनुदान	865.64	865.64
	योग	**14288.14**	**13046.11**

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 3319
TO BE ANSWERED ON 25.4.2012

Navodaya Vidyalayas

†3319. DR. MAHESH JOSHI:
SHRI J.M. AARON RASHID:
SHRI C. RAJENDRAN:
SHRI JAGDISH THAKOR:
SHRI AMARNATH PRADHAN:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the norms adopted for opening Navodaya Vidyalayas in the country;
(b) the number of such Vidyalayas functioning in the country at present, State-wise;
(c) the number of Vidyalayas opened during each of the last three years and the current year, State-wise;
(d) whether the Government is planning to open more Navodaya Vidyalayas during the Twelfth Plan Period;
(e) if so, the details including the locations thereof, State-wise and the time by which these are likely to be opened; and
(f) the details of the funds sanctioned, released and utilized by Navodaya Vidyalayas during each of the last three years and the current year, State-wise?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DR. D. PURANDESWARI)

(a) Navodaya Vidyalaya Scheme envisages opening of one JNV in each district of the country. In addition, the Govt. has also approved opening of 20 JNVs in the districts having large concentration of SC/ST population and two additional JNVs in Ukhrul

and Senapati districts of Manipur. The state of Tamil Nadu has not yet opted for the Navodaya Vidyalaya Scheme.

(b) State-wise list of functional JNVs is at **Annexure-I.**

(c) List of JNVs opened in the years 2009-10 and 2010-11 is as follows:

2009-10	2010-11
1. Palamu Jharkhand) 2. Dantewara Chhattisgarh) 3. Malkangiri (Orissa) 4. Gaya (Bihar) 5. South 24 Parganas (West Bengal)	1. Jammu (J&K) 2. Sriganganagar (Rajasthan)

No new JNV has been opened in 2011-12 and the current year.

(d)&(e) The Twelfth Plan proposals for new JNVs have not been finalized by the Planning Commission.

(f) The State-wise details of funds allocated and utilized by Navodaya Vidyalayas during the last three years are at **Annexure-II.** No funds have been released during the current financial year.

***

Annexure-I

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (b) OF LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 3319 FOR 25.04.2012 ASKED BY DR. MAHESH JOSHI, SHRI J.M. AARON RASHID, SHRI C. RAJENDRAN, SHRI JAGDISH THAKOR, SHRI AMARNATH PRADHAN, MEMBER OF PARLIAMENT REGARDING NAVODAYA VIDYALAYAS

S. No.	State	Total
1	Madhya Pradesh	50
2	Chhattisgarh	17
3	Orissa	31
4	Punjab	21
5	HP	12
6	J&K	17
7	Chandigarh	1
8	A&N Islands	2
9	Andhra Pradesh	24
10	Karnataka	28
11	Kerala	14
12	Pondicherry	4
13	Lakshadweep	1
14	Haryana	20
15	Delhi	2
16	Rajasthan	33
17	UP	68
18	Uttarakhand	13
19	Bihar	39
20	Jharkhand	24
21	West Bengal	18
22	Maharashtra	33
23	Gujarat	23
24	Goa	2
25	Daman & Diu	2
26	D& N Haveli	1
27	Arunachal Pradesh	16
28	Assam	27
29	Meghalaya	8
30	Manipur	9
31	Mizoram	7
32	Nagaland	11
33	Sikkim	4
34	Tripura	4
	Total	**586**

Annexure II

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (b) OF LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 3319 FOR 25.04.2012 ASKED BY DR. MAHESH JOSHI, SHRI J.M. AARON RASHID, SHRI C. RAJENDRAN, SHRI JAGDISH THAKOR, SHRI AMARNATH PRADHAN, MEMBER OF PARLIAMENT REGARDING NAVODAYA VIDYALAYAS

(Rs. in thousands)

		2009-10		2010-11		2011-12	
S.no.	State/UT	Allocation	Expenditure	Allocation	Expenditure	Allocation	Exp. As on 31.1.2012
1	A&N Islands	317.48	325.16	338.64	340.18	387.57	344.53
2	Andhra Pradesh	5763.32	5969.83	6413.83	6576.51	8332.40	6106.46
3	Arunachal Pradesh	6051.30	6015.73	4957.65	5193.37	2949.38	2272.37
4	Assam	6939.40	6829.07	6758.57	6637.03	6738.39	5129.1
5	Bihar	9812.66	9616.92	8499.87	8526.92	10537.65	8220.72
6	Chandigarh	241.27	234.46	293.71	292.35	335.15	289.84
7	Chattisgarh	4924.31	4880.97	3459.84	3439.17	3749.98	3192.78
8	D&N Haveli	130.06	138.20	231.01	221.58	179.94	185.46
9	Daman & Diu	318.43	340.27	296.99	288.58	326.29	314.77
10	Delhi	29148.15	7031.32	33591.14	7756.31	8352.77	1765.96
11	Goa	389.65	383.89	569.47	575.86	487.19	463.6
12	Gujrat	5510.60	5502.20	5111.12	5040.4	4898.02	4734.72
13	Haryana	5695.59	5633.85	5610.87	5568.86	5396.85	4617.07
14	Himachal Pradesh	2683.15	2603.71	3893.14	3847.13	2987.63	2575.23
15	J & K	5021.19	4858.88	6469.52	6392.87	4325.00	3541.02
16	Jharkhand	5773.13	5632.78	6615.91	6472.34	5422.31	4523.75
17	Karnataka	6334.00	6307.05	6782.51	6715.86	8067.43	6842.76
18	Kerala	3738.98	3735.29	4001.97	3996.63	3999.50	3511.7
19	Lakshadweep	178.46	178.35	164.17	163.48	194.85	169.14
20	Madhya Pradesh	12873.72	12759.11	11777.1	11635.69	13504.25	14855.16
21	Maharashtra	8251.40	8405.07	8977.5	8966.73	8970.65	8498.63
22	Manipur	3849.57	3837.27	4057.83	4048.11	3068.81	2354.68
23	Meghalaya	3167.82	2870.92	2370.81	2346.73	3392.46	1922.97
24	Mizoram	1707.76	1693.16	1200.65	1189.4	1210.99	868.6
25	Nagaland	4427.58	4379.40	4147.88	4126.77	2235.14	1607.3
26	Orissa	8592.29	8508.88	7564.13	7549.8	8534.09	7120.27
27	Pondicherry	1142.91	1143.31	1090.11	1085.76	1095.96	941.22
28	Punjab	5239.27	5179.00	6191.87	6402.84	6668.51	5053.5
29	Rajasthan	7724.80	7847.94	8178.58	8382.47	10227.87	8090.16
30	Sikkim	1020.80	1012.74	2168.01	2159.56	892.80	662.17
31	Tripura	1811.16	1794.96	1223.06	1205.79	1176.84	887.92
32	Uttar Pradesh	17110.38	17005.53	19704.8	19664.64	19468.34	15428.75
33	Uttranchal	4452.85	4404.79	3985.11	3928.94	3765.15	3149.01
34	West Bengal	7099.57	6881.64	6064.63	5998.43	3744.79	3080.25
	Total	**187443.00**	**163941.64**	**192884.00**	**166737.09**	**165624.95**	**133321.57**

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3510
उत्तर देने की तारीख 26.04.2012

बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

3510. **श्री जगदीश ठाकोर :**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लक्ष्य और उद्देश्य तथा नियमों और विनियमों को मीडिया में अच्छी तरह से प्रसारित और प्रकाशित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार असम सहित कुछ राज्यों में लाभार्थियों के चयन में अनियमितताओं से अवगत है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का लाभार्थियों तथा योजनाओं के चयन के लिए विधान सभा सदस्यों, संसद सदस्यों इत्यादि जैसे सभी निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को शामिल कर एक जिला स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव है,

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार इस योजना को मौजूदा जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की निगरानी के अधीन लाए जाने पर विचार कर रही है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस क्षेत्र के चयन और सूची का क्या आधार है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री **(श्री विन्सेंट एच. पाला)**

(क) और (ख) : बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के लक्ष्यों और उद्देश्यों सहित दिशा–निर्देशों वाली पुस्तिकाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित किया गया है। यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www.minorityaffairs.gov.in पर भी उपलब्ध है। एमएसडीपी से संबंधित विज्ञापन 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान समय–समय पर प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में भी जारी किए गए थे।

(ग) : असम में लाभार्थियों के चयन में अनियमितताओं की कोई भी घटना मंत्रालय के ध्यान में नहीं आयी है।

(घ) से (च) : प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए जिला स्तरीय समिति विकास घाटे, परियोजना की गैर द्विरावृत्ति, निष्कर्ष एवं लाभ, भूमि की उपलब्धता, आशयित लक्ष्य समूहों इत्यादि पर विचार करते हुए जिले के लिए एमएसडीपी प्लान तैयार करती है। ऐसे प्लान में जिलों के सामाजिक आर्थिक मानदंड में सुधार लाने के लिए प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास इत्यादि से संबंधित परियोजनाएं शामिल होती हैं। अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले ग्रामों/खंडों/इलाकों में अवस्थित की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए जिला स्तरीय समितियां तथा राज्य स्तरीय समितियां, जिनमें एमएलए तथा एमपी सरीखे लोक प्रतिनिधि शामिल होते हैं, को एमएसडीपी के क्रियान्वयन की मानीटरिंग करने की जिम्मेदारियां सौंपी गयी हैं।

*****

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4857

उत्तर देने की तारीख: 07.05.2012

प्रमाण–पत्र जारी करने में एकरूपता

4857. **श्री जगदीश ठाकोर:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे देश में अनुसूचित जातियों (एससी) के जाति प्रमाण-पत्र जारी करने में कोई एक समान प्रक्रिया निर्धारित की गयी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में विभिन्न राज्यों द्वारा अपनायी जा रही प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) एस सी प्रमाण-पत्र जारी करने में एकरूपता लाने तथा इसकी प्रक्रिया सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री डी0 नेपोलियन)

(क) से (ग) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार किसी जाति आदि का अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्देशन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में संसद के अधिनियमों द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेशों के तहत किया गया है।

तथापि, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने तथा इसे सत्यापित करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है, तथा इस संबंध में उन्हें दिशा-निर्देश गृह मंत्रालय द्वारा उनके पत्र सं. 35/1/72-आरयू(एससीटी-V) दिनांक 02.05.1975 तथा बीसी 12025/2/76-एससीटी-1, दिनांक 22.3.1977 के तहत जारी किए गए हैं।

****

LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION NO. 5113

TO BE ANSWERED ON 08.05.2012

PROMOTION OF REGIONAL FILM INDUSTRY

5113. SHRI JAGDISH THAKOR :

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) Whether the Government proposes to promote Gujarati and other regional film industries;

(b) If so, the details thereof and the success achieved therefrom alongwith mechanism developed so far to promote regional films and music in the country and abroad;

(c) The mechanism adopted/ developed to promote Gujarati films and music in the country and abroad; and

(d) The details of the funds provided and expenditure incurred for this purpose during each of the last three years?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (Dr. S. JAGATHRAKSHAKAN)

(a) to (c) The Ministry of Information & Broadcasting has executed its Plan Scheme under the Eleventh Five Year Plan for "Production of Feature Films in various regional languages" through NFDC which aims at promoting new talent and production of films in all Indian languages including Gujarati.

As per the Plan Scheme, NFDC Invited film proposals from the outside producers and -Directors which are considered by a Script Committee whose recommendations are further looked into by a Screening Committee of NFDC and finally approved by the Board of Directorsof NFDC. The approved film proposals are produced/co-produced by NFDC.

"The Good Road" in Gujarati language is currently under production and is likelyto be completed soon.

(d): Under the Plan Scheme following funds have been released to and utilized by NFDC for production of films in various regional languages.

These funds are not allocated statewise.

Year	**Amount(Rs. In crores) Released/ utilized**
2009-10	7.84
2010-11	9.99
2011-12	11.67
	29.5

....